## उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 388/2025 प्रार्थनापत्र

01. मोहनलाल पुत्र हमागी पत्नी तेजू जाति भील निवासी–भीलों का खेड़ा(सथाना) तहसील ब्यावर जिला अजमेर जिला भीलवाडा (राज0) —— प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) विपक्षी

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित :–
1. श्री अशोक कुमार लखारा ——अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार ——उपस्थित

दिनांक– 01.09.2025

**:: निर्णय ::**

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद मालास पटवार हल्का लादूवास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि के खाता सख्या 226 के आराजी नम्बर–1800/545, 1801/545 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5058 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थीगण का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो बिलानाम आराजी नम्बर 544 में से होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1800/545, 1801/545 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5058 हैक्टयर भूमि मे आता जाता है। जिसमे से 30 फिट चौड़ाई रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षी को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने, संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद मालास पटवार हल्का लादूवास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि के खाता सख्या 226 के आराजी नम्बर–1800/545, 1801/545 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5058 हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु ग्राम मालास की आराजी नम्बर 544 रकबा 0.3794 हैक्टयर किस्म बिलानाम दर्ज रेकॉर्ड भूमि हैं, गेमू रास्ता जो कि ग्राम मालास से SH-61 रोड़ की तरफ जाता है। उसके पूर्व दिशा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित हैं। उक्त रास्ते आराजी नम्बर 544 व प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 1800/545, 1801/545 के मध्य बिलानाम सरकारी भूमि आराजी नम्बर 545 रकबा 0.2529 हैक्टयर किस्म बिलानाम स्थित हैं जिसमें से होकर प्रार्थी खातेदारी भूमि में आया जाया जा सकता हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मालास की बिलानाम आराजी नम्बर 545 रकबा 0.2529 हैक्टयर किस्म बिलानाम में से 15 फिट चौड़ाई में रकबा 0.0078 हैक्टयर भूमि पर रास्ता उचित हैं

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, प्रार्थी की आराजी नम्बर–1800/545, 1801/545 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5058 हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की बिलानाम आराजी नम्बर 545 रकबा 0.2529 हैक्टयर मे से 15 फिट चौड़ाई में रकबा 0.0078 हैक्टयर भूमि के रूप में रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

Vgey

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद मालास पटवार हल्का लादुवास द्वितिय भू
भिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की
षि भूमि के आराजी नम्बर 1800/545 एवं आराजी नम्बर 1801/545, किता 02 रकबा 0.5058 हैक्टयर
मि मे आने जाने हेतु विपक्षी सख्या 01 आराजी नम्बर 545 रकबा 0.2529 हैक्टयर मे से 15 फिट चौड़ाई में
कबा 0.0078 हैक्टयर भूमि रास्ता के रूप मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया
ाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की
ाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि
स्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0078 हैक्टयर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य
र्थीगण से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति हेतु राजकोष मे जमा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)